Statement

Name of the company		Installed capacity/Actual Production (in Nos.)		
		1989-90	1990-91	1991-92
A.P.I.	Installed Capacity	48,000	48,000	48,000
	Production	Nil	Nil	Nil
Andhra Scooters . .	Installed Capacity	36,000	36,000	36,000
	Production	Nil	302	Nil
Bajaj Auto . . .	Installed Capacity	780,000	858,750	1,065,000
	Production	541,745	552,116	492,080
Gujarat Narmada . .	Installed Capacity	100,000	100,000	100,000
	Production	28,381	21,392	4,384
Kinetic Honda . .	Installed Capacity	100,000	100,000	100,000
	Production	60,490	76,563	87,485
LML Limited . .	Installed Capacity	200,000	200,000	200,000
	Production	148,231	158,087	88,741
Maharashtra Scooter .	Installed Capacity	105,000	105,000	105,000
	Production	101,251	104,152	97,161
Scooters India . .	Installed Capacity	60,000	60,000	60,000
	Production	Nil	Nil	Nil

SOURCE—Association of Indian Automobile Manufacturers.

खादी आन्दोलन में तेजी लाना

673. **श्री अजीत जोगी :**
श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खादी आन्दोलन में तेजी लाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) सरकार का यह दायित्व है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा उसकी संस्थाओं के माध्यम से खादी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए और इसका विकास किया जाए । समय-समय पर इस दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) खादी उद्योग के संवर्धन और प्रतिपालन के लिए सस्ती, सहज और व्यापक सहायता का प्रावधान ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके लाभ समाज के कमजोर और दुर्बल वर्गों को मिल सके ।

(2) गुणवत्ता और मात्रा के रूप में सूती खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च गति वाले छः तकुओं वाले नए माडल के चर्खों और ग्राम लक्ष्मी करघों को शुरू करना ।

(3) देश के विभिन्न भागों में डी. आर. डी. ए. के सक्रिय सहयोग के गहन खादी उत्पादन और रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं शुरू की गई हैं ।

(4) कताई करने वालों के लिए नियमित और क्वालिटी कच्चा माल सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सलाइवर संयंत्रों की स्थापना करना ।

(5) देश के विभिन्न भागों में नए माडल के चर्खों के लिए भंडारन और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की आपूर्ति के लिए सुविधाएं देना ताकि चर्खे बेकार न पड़े रहें

(6) नबार्ड और सिडबी के वित्तीय सहयोग से नए खादी भंडारों/भवनों की स्थापना जिससे खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के लिए रास्ते खुल सकें ताकि इन्हें उत्पादकों के घर तक पहुंचाया जा सके ।

(7) नए संस्थानों में भर्ती के लिए कार्यविधि का सरलीकरण; रुग्ण और समस्या ग्रस्त संस्थानों का पुनरुज्जीवन और सक्रिय सहयोग के लिए राज्य स्तर की फैडरेशनों की स्थापना, इत्यादि ।

इसके अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी उत्पाद विकास केन्द्रों, गारमेन्ट उत्पादन केन्द्रों और खादी निर्यातोन्मुख एककों के विकास का भी प्रस्ताव है ।

देश में कागज मिलें

674. **श्री अजीत जोगी :**
श्री विठ्ठलराव माधवराव गाधव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य वार कागज मिलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन मिलों की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है और 1990-91 के वर्ष के दौरान इन मिलों ने कितना-कितना उत्पादन किया;

(ग) जो मिल अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कागज उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) कागज मिलों की राज्यवार संख्या और उनकी अधिष्ठापित क्षमता का एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) वर्ष 1990-91 में देश में कागज और गत्ते के उत्पादन की मात्रा 19.58 लाख मी. टन थी ।

(ग) सरकार अलग-अलग कागज मिलों के लिए कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं करती ।

(घ) कागज उद्योग की सतत् प्रगति के लिए सरकार ने कई नीतिगत उपाय किए हैं और कागज मिलों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए हैं :—

(1) जिन कागज मिलों में इस्तेमाल होने वाली लुगदी का 75% भाग सोई कृषि के अवशिष्ट पदार्थों और अन्य गैर-पारम्परिक कच्चे माल से बनता है उन्हें अनिवार्य लाइसेंसीकरण से मुक्त कर दिया गया है बशर्ते कि स्थापना स्थल के दृष्टिकोण से वे अनापत्ति पत्र प्राप्त कर लें ।

(2) कम से कम 75% तक कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि सोई, जूट तथा अन्य गैर-पारम्परिक कच्चा माल इस्तेमाल करने वाली कागज इकाइयों को उत्पादन शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है ।

(3) कम से कम 50% तक कृषि अवशिष्ट पदार्थ और गैर-पारंपरिक कच्चा माल प्रयोग करने वाले कागज मिलों से उत्पादन शुल्क रियायती दरों पर लिया जाता है ।

(4) "एक्सिम" नीति के अधीन आयात लाइसेंस लिए बिना ही सीमा शुल्क की दरों पर लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज का आयात निर्बाध रूप से किया जा सकता है ।